

इकाई कार्यालय, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको लिमिटेड,  
जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।

क्रमांक: यू-(12)-3/2019-20/150  
दिनांक: 23.अप्रैल, 2019

-सूचना:-

रीको इकाई कार्यालय जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के सभी वैध आवंटियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 के लिये सर्विस चार्जेज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

क्र.स	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक भूखण्डों हेतु वर्ष 2019-20 की सर्विस चार्जेज की दर
1.	बिन्दायका, बगरु(पुराना), बगरु(विस्तार), बगरु(विस्तार) द्वितीय चरण, कांट कालवाड़(विस्तार), कूकस, कूकस(विस्तार), करतारपुरा, मानपुर माचेडी, 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं सुदर्शनपुरा(विस्तार)	रुपये 9.75/- प्रति वर्गमीटर
2.	शाहपुरा	रुपये 6.95/- प्रति वर्गमीटर
3.	दूदू	रुपये 4.05/- प्रति वर्गमीटर
4.	फुलेरा	रुपये 2.90/- प्रति वर्गमीटर

नोट:-

1. औद्योगिक भूखण्ड हेतु इस वित्तिय वर्ष के लिए न्यूनतम राशि रुपये 1000/- है।
2. व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड हेतु औद्योगिक दर की दो गुणा दर लागू होगी, व्यावसायिक भूखण्ड के लिये न्यूनतम राशि रुपये 500/- रहेगी।
3. सर्विस चार्जेज की राशि की अन्तिम गणना के लिये निकटतम रुपये 10/- तक राशि राउण्ड ऑफ की जावेगी।
4. उपरोक्त राशि जमा कराने हेतु देय तिथि 31.07.2019 है। अतः सभी वैध आवंटी देय तिथि तक बकाया राशि रीको इकाई कार्यालय, 22 गोदाम, जयपुर में जमा करा देवें। दिनांक 31.07.2019 तक उक्त राशि जमा नहीं होने पर बकाया राशि पर 01.04.2019 से नियमानुसार ब्याज जमा कराना होगा। बकाया राशि की जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
5. किसी भी प्रकार की राशि निगम के खाते में कैशलेस/चैक/डीडी माध्यम से ही जमा करानी होगी एवं जमा कराई गई राशि की सूचना (यू.टी.आर. आदि द्वारा) इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी, ताकि रसीद जारी की जा सके। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

Name :	RIICO LTD.
Bank Name :	Bank of Baroda, Bais Godam, Jaipur
Account No. :	25220200000010
IFSC Code :	BARBOINDBAI (5 <sup>th</sup> Character is zero)
Email ID :	jaipurrural@riico.co.in

6. रीको से ऑनलाईन व्यवहार करने हेतु कृपया sso.rajasthan.gov.in पर आईडी बनाकर रीको पोर्टल पर अपनी प्रोफाईल एकिटवेट करने के लिये अधिकृत पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

राज्य सरकार की नीति एवं निगम नियमानुसार 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (निर्धारित मानक एवं डिजाईन के अनुसार) दिनांक 30.06.2019 तक निर्मित कर रीको कार्यालय में सूचित किया जाना चाहित था कृपया सूचित रहें कि भूखण्ड पर "रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर" का निर्माण नहीं किये जाने पर 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर रु. 25,000/- एवं 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रु. 50,000/- प्रतिवर्ष शास्ती एवं इस पर प्रभावी माल एवं सेवा कर देय है।

१०  
व०उप महाप्रबन्धक एवं  
इकाई प्रभारी

**प्रतिलिपि:-**

1. वित्तीय सलाहकार, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (पी.आर.), रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कार्यालय आदेश रीको की बेवसाइट पर डालने का श्रम करें।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, रीको लिमिटेड, जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर को पालनार्थ।
4. अध्यक्ष/महासचिव, इण्डस्ट्रीयल ऐसोसियेशन, औद्योगिक क्षेत्र..... को भेजकर निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र के सभी वैध आवंटीयों को सूचना पहुँचाने का श्रम करें तथा बकाया राशि जमा करवाने एवं "रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर" के निर्माण के लिए प्रेरित भी करने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड इकाई कार्यालय, जयपुर(ग्रामीण)।
6. कार्यालय प्रतिलिपि।

*Camp* 22.04.19

May be upload on the Rico website.

व०उप महाप्रबन्धक एवं  
इकाई प्रभारी

DGM (Camp)

*Rajkumar  
24/04/2019*